समाहरणालय, दरभंगा

(आपूर्ति प्रशाखा)

—: आ दे श :—

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना ज्ञापांक—5270/खाद्य दिनांक—08.11.2018 के आलोक में दरभंगा जिला के किसानों को सरकार द्वारा धान क्रय के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि धान का क्रय किसानों से हो, व्यापारियों या बिचौलियों से नहीं, के संदर्भ में पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जानी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक—5370 दिनांक—22.11.2018 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2018—19 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य धान साधारण 1750/— रूपये, धान ग्रेड(ए) 1770/— रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक—15.11.2018 से 31.03.2019 तक तथा सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्यक्रम दिनांक 15.11.2018 से 31.07.2019 तक प्रभावी रहेगा।

पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा शत प्रतिशत अधिप्राप्त धान को निगम द्वारा चयनित/पंजीकृत/एकरारनामित मिल के माध्यम से मिलिंग कराकर तैयार सी0एम0आर0 को सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र (गोदाम) पर उपलब्ध कराया जायेगा। मिलिंग हेतु पैक्सों/व्यापारमंडलों द्वारा मिलरों को धान की आपूर्ति मिलरों से प्राप्त सी0एम0आर0 के समतुल्य ही की जायेगी और यह प्रक्रिया चक्रानुक्रम में जारी रहेगा। किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त धान मिलरों को नहीं दी जायेगी।

उपर्युक्त विभागीय पत्र के आलोक में जिला के विभिन्न प्रखण्डों में सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों के संचालन हेतु निम्नरूप से सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र प्रभारी के रूप में नामित करते हुए प्रतिनियुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अधिप्राप्त किये गये धान का समतुल्य सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम के मानक के अनुरूप सी0एम0आर0 की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

क्र0 सं0	प्रखंड का नाम	सी0एम0आर0 केन्द्र प्रभारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर	सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति केन्द्र हेतु चयनित स्थलों का नाम	गोदाम की क्षमता
1.	दरभंगा सदर	श्री प्रियरंजन, प्र0सां0पर्य0, बहेड़ी (मो0—8825368348)	शिवधारा, दरभंगा	2400 एम0टी0
2	बहादुरपुर	श्री सुरेश झा, प्र0सां0पर्य0, बहादुरपुर (मो0—9507409481)	प्रखण्ड परिसर, बहादुरपुर	500 एम0टी0
3	केवटी	श्री प्रभात कुमार, प्र0सां0पर्य0, जाले (मो0—8002963350))	प्रखण्ड परिसर, केवटी	500 एम0टी0
4	सिंहवाड़ा	श्री अशोक कुमार, प्र0सां0पर्य0, सिंहवाड़ा (मो0—9430571285)	प्रखण्ड परिसर, सिंहवाड़ा	500 एम0टी0
5	हायाघाट	श्री दुर्गानन्द झा, प्र0सां0पर्य0, हायाघाट (मो0—9931803719)	प्रखण्ड परिसर, हायाघाट	500 एम0टी0
6	बहेड़ी	श्री शिव शंकर दास, सहायक प्रबंधक, बहेड़ी (मो0—8709767748)	हावीडीह बहेड़ी	1000 एम0टी0
7	बेनीपुर	श्री सुरेश ठाकुर, प्र0सां0पर्य0, बेनीपुर (मो0—9430917987)	प्रखण्ड परिसर, बेनीपुर	500 एम0टी0
8	बिरौल	श्री दिनेश राय, प्र0सां0पर्य0, बिरौल (मो0—9128565451)	प्रखण्ड परिसर, बिरौल	500 एम0टी0

9	घनश्यामपुर	श्री अभिनाश कुमार, प्र0सां0पर्य0, घनश्यामपुर (मो0–9661459758)	प्रखण्ड परिसर, घनश्यामपुर	500 एम0टी0
10	कुशेश्वरस्थान	श्री प्रवीण कुमार झा, प्र0सां0पर्य0, गौड़ाबौराम (मो0–9279477359)	प्रखण्ड परिसर, कुशेश्वरस्थान	1000 एम0टी0

प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि विभागीय परिपत्रों एवं अधिसूचना के आलोक में सी0एम0आर0/धान अधिप्राप्ति केन्द्र का संचालन सुनिश्चित किया जाय। किसानों को उनकी उपज का निर्धारित समर्थन मूल्य उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना सर्वोपरि है। केन्द्र से संबंधित सभी निर्धारित पंजियों का संधारण दैनिक रूप में किया जाय एवं अधिप्राप्ति की दैनिक प्रगति निर्दिष्ट प्रपत्र में तैयार कर सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र प्रभारी के हस्ताक्षर से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को प्रेषित किया जाय। सभी संग्रहण केन्द्र प्रभारी का यह भी दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन प्रतिवेदन को ई–मेल के माध्यम से भी जिला मुख्यालय (राज्य खाद्य निगम, दरभंगा तथा आपूर्ति शाखा) को उपलब्ध करायेंगे तथा CMR अधिप्राप्ति से संबंधित लेखाओं का संधारण ससमय करेंगे।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को निदेशित किया जाता है कि सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र संचालन संबंधी अभिलेख के संधारण एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों को सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र प्रभारी को अबिलम्ब उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया जाय एवं प्राप्त सी0एम0आर0 को सुरक्षित रखने हेतु सुरक्षा संबंधी आवश्यकता का आकलन कर आवश्यक कार्रवाई की जाय।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-
जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक – 1542 /आपर्ति, लहेरियासराय, दिनांक–20 वीं दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि :– प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी प्रखंड एवं अंचल के प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला अग्निशामक पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा/जिला सनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा/जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा/जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, दरभंगा/क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, दरभंगा/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री अनिल कुमार झा, वरीय उप समाहर्त्ता (अधिप्राप्ति), दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप निदेशक खाद्य, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/18
जिलाधिकारी,
दरभंगा।